न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 16/2023

अपीलांट्स – ***बनाम*** **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. रहीम पुत्र केवाराम जाति मेघवाल निवासी तहसील रामसर, जिला बाड़मेर	1. चौखाराम पुत्र केवाराम जाति मेघवाल निवासी तहसील रामसर, जिला बाड़मेर
2. साकर पुत्र केवाराम जाति मेघवाल निवासी तहसील रामसर, जिला बाड़मेर	2. राजस्थान राज्य जरिये– तहसीलदार रामसर, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध बंटवाडा आदेश क्रमांक 184 दिनांक 21.10.2021 जो श्रीमान तहसीलदार रामसर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री कपिल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदाता संख्या 01 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29.01.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार रामसर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 184 दिनांक 21.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा ग्राम रामसर में अपीलांट्स एवं उत्तरदाता सख्या 01 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 123/28 रकबा 8.0937 हैक्टेयर के किस्म बारानी सोयम के बंटवाडे हेतु आवेदन श्रीमान तहसीलदार रामसर के समक्ष दिनांक 21.10.2021 को पेश किया, जिस पर बंटवाडे का नक्शा प्रस्तुत किया [illegible] कब्जा काश्त के अनुसार नहीं बनाकर पटवारी हल्का द्वारा [illegible] बनाकर तहसीलदार रामसर के समक्ष जल्दबाजी में [illegible] तथा [illegible] आधार पर बटवाडा आदेश दिनांक 21.10.2021 को [illegible] अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.06.2022 [illegible] प्रस्तुत की गई है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र तथा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि मौजा ग्राम रामसर में अपीलांट्स एवं उत्तरदाता सख्या 01 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 123/28 रकबा 8.0937 हैक्टेयर आया हुआ है। उक्त भूमि में अपीलांट्स एवं रेस्पों संख्या 01 द्वारा बंटवाडे हेतु आवेदन श्रीमान तहसीलदार रामसर के समक्ष दिनांक 21.10.2021 को पेश किया, जिस पर बंटवाडे का नक्शा प्रस्तुत किया गया था, वह नक्शा मौके पर जाकर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं बनाकर पटवारी हल्का द्वारा अंदाज से बनाकर तहसीलदार रामसर के समक्ष जल्दबाजी में प्रस्तुत किया तथा उसके आधार पर बंटवाडा आदेश दिनांक 21.10.2021 को हो गया, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स व उतरदाता के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। उपरोक्त बंटवाडा नक्शा वास्तविक कब्जा व मौके के अनुसार नहीं बनाने का अपीलांट्स को ग्रामीण व अनुसूचित जाति के अनपढ़ व्यक्ति होने से ज्ञान उस समय नहीं हुआ। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि दिनांक 03.08.2023 को उत्तरदाता संख्या 01 ने अपीलांट्स को धमकी दी कि अपीलांट्स की बनी ढाणी व कब्जे काश्त की भूमि उत्तरदाता संख्या 01 के हिस्से में आई है। आप लोग कब्जा छोड़ो अन्यथा आप लोगों को जबरन बेदखल कर दिया जाएगा। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 03.08.2023 को पटवारी हल्का के पास जाकर पूछा तो पटवारी हल्का ने कहा कि उसके पास बंटवाडे आदि की नकल नहीं है, आप लोगों को तहसील में नकलें मिलेगी। जिस पर अपीलांट्स द्वारा तहसील कार्यालय से नकले दिनांक 03.08.2023 को प्राप्त कर उसका अवलोकन करवाया तो सर्वप्रथम गलत बंटवाडा होने का ज्ञान हुआ। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:17 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेंट संख्या 01 स्वयं उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा जो यह अपील पेश की गई है, इसमें बंटवाडा वास्तव में मौके

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

पर कब्जे के अनुसार नहीं हुआ है, अंदाज से नक्शा पेश करके बंटवाडा किया गया है, जो गलत किया गया है। पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जे–काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ग्राम रामसर में अपीलांट्स एवं उत्तरदाता सख्या 01 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 123/28 रकबा 8.0937 हैक्टेयर आया हुआ है। उक्त भूमि में अपीलांट्स एवं रेस्पों संख्या 01 द्वारा बंटवाडे हेतु आवेदन श्रीमान तहसीलदार रामसर के समक्ष दिनांक 21.10.2021 को पेश किया, जिस पर बंटवाडे का नक्शा प्रस्तुत किया गया था, वह नक्शा मौके पर जाकर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं बनाकर पटवारी हल्का द्वारा अंदाज से बनाकर तहसीलदार रामसर के समक्ष जल्दबाजी में प्रस्तुत किया तथा उसके आधार पर बंटवाडा आदेश दिनांक 21.10.2021 को हो गया, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स व उतरदाता के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। उपरोक्त बंटवाडा नक्शा वास्तविक कब्जा व मौके के अनुसार नहीं बनाने का अपीलांट्स को ग्रामीण व अनुसूचित जाति के अनपढ़ व्यक्ति होने से ज्ञान उस समय नहीं हुआ। जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.08.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि उतरदाता के हिस्से मे चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि उतरदातागण के कब्जे मे चली गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता के इस अभिकथन को अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा ताईद करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने बाबत अनापत्ति प्रकट की गई हैं। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामसर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का विवेचन करने के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार रामसर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 184 दिनांक 21.10.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रामसर को इस निर्देश के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:17 IST
Reason: SelfAttested